अपील क्रमांक 199/बो.प्र./नि.स./2024/
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ट)
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
शिवनाथ भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर

दिनांक /06/2024

अपील प्रकरण क्रमांक 199/बो.प्र./नि.सहा./2024

अपीलार्थी		उत्तरवादी
श्री नितिन सिंघवी, एम.आई.जी.–59, सेक्टर–1, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)	विरूद्ध	श्री रविकांत साहू जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 12.06.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री नितिन सिंघवीं के प्रथम अपील आवेदन पत्र दिनांक 27.05.2024 जो कार्यालय में दिनांक 30.05.2024 को प्राप्त हुआ, की सुनवाई आज दिनांक 12.06.2024 को कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में दोपहर 12.30 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री रविकांत साहू, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.) उपस्थित थे तथा अपीलार्थी अनुपस्थित थे ।

2 प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक 24.04.2024 को जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 20.05.2024 को प्रदान की गयी जानकारी से असंतुष्ट होने के कारण, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन दिनांक 27.05.2024 इस कार्यालय में दिनांक 30.05.2024 को प्राप्त हुआ।

3. अपीलार्थी श्री नितिन सिंघवी को सुनवायी हेतु नियत तिथि 12.06.2024 के संबंध में सूचना प्राप्त होने के बाद दिनांक 11.06.2024 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखते हुए अपील का निराकरण निर्धारित तिथि को किये जाने का अनुरोध किया। उन्होनें दिनांक 11.06.2024 को समक्ष में अपने अपीलीय प्रकरण तथा लिखित तर्क में उल्लेख किया है कि उनके आवेदन के परिपेक्ष्य में जनसूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी 2 पृष्ठों की जानकारी अपीलार्थी ने चाहा ही नहीं था। अपीलार्थी ने अपने अपील में लेख किया है कि The Chhattisgarh Ground Water (Regulation and Management) Act 2022 के तहत Chhattisgarh State Ground Water Management and Regulatory Authority के द्वारा जारी permission की प्रतियाँ चाहे जाने पर भी जनसूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को प्रताड़ित करने की मंशा से चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई, जिसकी शिकायत उनके द्वारा की गई है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी धारा 7 (6) के तहत नि:शुल्क दिये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

4. जनसूचना अधिकारी आज सुनवायी में उपस्थित थे। जनसूचना अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत पत्र दिनांक 03.06.24 में उल्लेख किया गया है कि आवेदक/अपीलार्थी का आवेदन पत्र आवक क्र. 256 दिनांक 26.04.2024 को प्राप्त हुआ। वांछित जानकारी हेतु नस्ती राजस्व कक्ष को दिनांक 29.04.2024 को प्रस्तुत किया

......2

गया। उक्त नस्ती राजस्व कक्ष से इस कक्ष को दिनांक 02.05.2024 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि वांछित जानकारी 2 पृष्ठों की है। उपरोक्त टीप के आधार पर अपीलार्थी को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/85/छ.ग./2024/3554, दिनांक 03.05.2024 द्वारा 02 पृष्ठों की जानकारी शुल्क जमा करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। तत्पश्चात अपीलार्थीद्वारा दिनांक 04.05.2024 को जानकारी शुल्क जमा करने के पश्चात कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/85/छ.ग./2024/3867, दिनांक 20.05.2024 द्वारा 2 पृष्ठों की जानकारी सत्यापित कर अपीलार्थी को प्रेषित किया गया।

5. उभयपक्षों के तर्क श्रवण किये गये। कार्यालयीन रिकार्ड एवं छत्तीसगढ़ भूजल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2022 का अवलोकन किया गया।

6. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन में वांछित जानकारी का विवरण निम्नानुसार है :-

> "Related to State Ground Water Management and Regulatory Authority, under RTI please provide the followings:
>
> **Details of permission granted under Section 3(6)(d) of the Ground Water (Management and Regulation) Act, 2022.**

7. जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रमुख अभियंता कार्यालय के संबंधित कक्ष से जानकारी मांगे जाने पर कक्ष द्वारा अधिनियम की धारा 3(6)(d) की प्रति उपलब्ध करायी गयी, जिसे जन सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी/आवेदक को उपलब्ध कराया।

8. प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी छत्तीसगढ़ भूजल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2022 की धाराओं के क्रियान्वयन से संबंधित है। अधिनियम 2022 का अवलोकन किया गया। छत्तीसगढ़ भूजल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2022 (राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 07.11.2022) की धारा 1 (3) में अधिनियम के प्रभावशील होने के संदर्भ में लेख है कि **"यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे तथा विभिन्न प्रावधानों के लिये विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।"** छत्तीसगढ़ भूजल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2022 के दिनांक 16.01.2024 से प्रभावशील होने के संदर्भ में अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 61 में दिनांक 19.02.2024 को प्रकाशित हुयी है। अतः अधिनयम में निहित के प्रावधान, दिनांक 16.01.2024 से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील हैं। छत्तीसगढ़ भूजल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2022 की **धारा 28 (1) के अनुसार इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।** अधिनियम के उपबंधों अनुसार क्रियान्वयन हेतु, इस धारा के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार के तहत वर्तमान में नियम बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नियमों के लागू होने के बाद अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु अन्य विधिसम्मत कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात्, प्राधिकरण द्वारा विधिवत कार्य प्रारंभ हो सकेगा। जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी आवेदक के आवेदन दिनांक 24.04.2024 (कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 26.04.2024) में

वांछित जानकारी के रूप में कार्यालय में संबंधित कक्ष से प्राप्त दस्तावेज दिनांक 20.05.2024 को प्रदान कर आवेदन का निराकरण अधिनियम में निहित समय सीमा 30 दिनों के अंदर किया गया, किन्तु अपीलार्थी के आवेदन में वांछित जानकारी के रूप में वर्तमान में प्रक्रियाधीन होने का लेखकर निरंक जानकारी उपलब्ध कराया जाना था।

9. अतः उपरिवर्णित तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है :–

उत्तरवादी पक्ष अर्थात जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन में वांछित जानकारी के रूप में कार्यालय में संबंधित कक्ष से प्राप्त उपलब्ध दस्तावेज दिनांक 20.05.2024 को 2 पृष्ठों में कार्यालयीन पत्र क्र. 4112275/85/छ.ग./2024/3867 दिनांक 20.05.2024 के माध्यम से अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित समयसीमा में अपीलार्थी को प्रेषित जानकारी के स्थान पर अधिनियम के अनुरूप नियमों का लागू होने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण वर्तमान में निरंक जानकारी उपलब्ध कराना था। छत्तीसगढ़ भूजल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2022 के उपबंधों अनुसार क्रियान्वयन हेतु धारा 28 (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार के तहत वर्तमान में नियम बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नियमों के लागू होने के बाद अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु अन्य समस्त विधिसम्मत कार्यवाही पूर्ण होने तथा प्राधिकरण द्वारा विधिवत कार्य प्रारंभ किये जाने के पश्चात् ही, यदि अपीलार्थी चाहें तो संबंधित कार्यालय में पृथक से आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अतः प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से प्रथम अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरूद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

सही/–
(आलोक अग्रवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रं./199/बो.प्र./नि.स./2024/ 4675 रायपुर, दिनांक 12/6/2024

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री रविकांत साहू, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री नितिन सिंघवी, एम.आई.जी.–59, सेक्टर–1, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

M/C
13/6/24

12/06/2024
प्रथम अपीलीय अधिकारी
एवं अधीक्षण अभियंता (बोधी प्रको.),
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)